त बयानी एव प्रार्थना पत्र को कानूनी रूप दिये जाने के लिये दर्ज किये गये है के प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने के लिये मु.न. 37 के कि.न. 21 में रास्ता चल है एव प्रार्थीगण कि.न. 21 मे से होकर ही आ जा रहे है कि.न. 23 मे प्रार्थीगण की णी बनी हुयी है एव प्रार्थीगण की आराजी मु.न.37 मु.न. 40 व मु.न. 36 व मु.न. 41 आराजी मे कि.न. 21 मे से होकर आ जा सकते है , प्रार्थीगण को मु.न. 37 के कि. 21 मे रास्ता उपलब्ध होने के कारण मु.न. 40 के कि.न. 1 में रास्ता स्वीकृत करवाने । अत्यंतिक आवश्यकता नही रह जाती है, प्रार्थीगण को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है ा प्रार्थीगण सुविधा की दृष्टि से रास्ता स्वीकृत करवाना चाह रहे है इस कारण र्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है।

तहसीलदार सादुलशहर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तत्पश्चात गिरदावर ल्का पटवारी हल्का की उपस्थित में स्वंय मौका निरीक्षण किया जाकर फर्द मौका यार करवायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों ो दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण । प्रार्थीगण के तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण मु.न. 40 के के.न. 1 के चिपते हुये मु.न. 37 के कि.न. 21 में से आते जाते रहे है जो कि अप्रार्थीगण के हक हिस्सा का था एव अप्रार्थीगण ने अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया ै एव अप्रार्थीगण के हक हिससा के मु.न. 40 के कि.न. 1 में डिग्गी बनी हुयी है एव डिग्गी के साथ केवल 8 फुट जगह शेष है एव डिग्गी से पानी निकालने के लिये पंखा रखा हुआ है एवं पंखा को किसी प्रकार की क्षति ना पंहुचे इसलिए अप्रार्थीगण ने पक्का मकान बना रखा है जिस कारण कॉर्नर में से होकर प्रार्थीगण नही आ जा सकते है एव रास्ता स्वीकृत होने से अप्रार्थीगण को क्षति कारित होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया, एव स्वंय मौका निरीक्षण में पाया की प्रार्थीगण के चाहे गये मु.न. 40 के कि.न. 1 में बनी हुयी डिग्गी के साथ रास्ता को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने उपरान्त बन्द किया है एव रास्ता ना बन सके इसलिए अप्रार्थीगण ने कि.न. 1 के उत्तरी पश्चिमी कोना में पक्का मकान बनाया है जो कि पूर्व में रास्ता कि.न. 1 में ही चल रहा था एव उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को उपलब्ध नही है एव अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ता को जानबूझकर बन्द किया गया है, चूंकि डिग्गी के साथ साथ कि.न. 1 के उत्तरी बट पर रास्ता की जगह को छोड़ा हुआ है एव मकान ना होने की सूरत में रास्ता चल सकता है एवं ऐसी सूरत में प्रार्थीण के चाहे गये रास्ता को मु. न. 39 के कि.न. 5 में 111 फीट लम्बाई में कि.न. 1 के चिपते हुये कि.न. 5 के पूर्वी बट पर एव तत्पश्चात कि.न. 1 में बनी हुयी डिग्गी के साथ साथ दक्षिण दिशा में 165 फीट लम्बाई में पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता दिया जाना उचित है एव डिग्गी के साथ साथ रास्ता दिये जाने से अप्रार्थीगण की डिग्गी एव बने हुये मकान को भी क्षति नही होगी एव ना ही अप्रार्थीगण के काश्त करने में किसी प्रकार से असुविधा होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की बनी हुयी डिग्गी के साथ साथ डिग्गी की तीनों ओर स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के हक हिस्सा की आराजी में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1व 2 की खातेदारी भूमि में से चक 26 के एस डी मु. न. 39 के कि.न. 5 में कि.न. 15 साथ चिपते हुये दक्षिण की ओर 111 फीट लम्बाई में तत्पश्चात मु.न. 40 के कि.न. 1 में डिग्गी के साथ साथ डिग्गी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर 165 फीट लम्बाई में कि.न. 2 तक 2 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत

Scanned with CamScanner